पत्रांक –3 /एम०– 43/2015सा०प्र०...4709....../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निगरानी विभाग/निर्वाचन विभाग/गृह विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/उर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/पर्यटन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/विधि विभाग/सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/संसदीय कार्य विभाग/समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक.........2.:.4.:...2018

विषयः– सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 2454/2018 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 27.03.2018 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन के संदर्भ में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 2454/2018 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक– 27.03.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है –

" However, before proceeding to decide the issue in question, we direct the Chief Secretary of the State of Bihar to nominate an officer on his behalf to file an affidavit before this Court and clarify the position by referring to the procedure followed in various other departments in the State of Bihar and indicate to this Court as to whether the contention of the petitioners as detailed hereinabove are correct or not. The Chief Secretary shall refer to various departments and indicate to this Court the procedure followed in the matter of grant of weightage to employees who want to particulate in the process of selection and who have experience of working on contract basis. Referring to various departments, the system followed should be indicated in the affidavit. That apart, the affidavit shall also clarify as to whether the policy as contained in Annexure-1 dated 21.05.2013 is being followed uniformally even now in other departments and if so why a deviation is done in the advertisement in question.

Let an affidavit clarifying the entire position be filed by the officer nominated by the Chief Secretary within four weeks from today. In the meanwhile, the process of selection up to the stage of allocation of final marks for various components of the selection process may go on but final result shall not be published without leave of the Court.

List after four weeks. "

2. उक्त आदेश के अनुपालनार्थ इस आशय की सूचना की आवश्यकता है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्गों के विनियंत्रण हेतु प्रवृत्त सेवा/संवर्ग नियमावली में नई नियुक्ति हेतु उस पद पर पूर्व में संविदा नियोजन के आधार पर कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को weightage दिये जाने का प्रावधान किया गया है अथवा नहीं?

3. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 8025 दिनांक– 21.05.2013 की कंडिका–2(i) द्वारा नियमित नियुक्तियों में वर्तमान में अथवा पूर्व में संविदा पर कार्य कर चुके कर्मचारियों को weightage पर विचार करने और आयु सीमा को नियमानुसार शिथिल करने हेतु संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावलियों में तदनुसार संशोधन करने के उपरान्त हीं नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजे जाने का प्रावधान किया गया है।

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–2 से संबंधित विभागीय प्रतिवेदन के साथ **प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक– 13.04.2018 के पूर्वाह्न 11:00 बजे आहूत बैठक** में भाग लेने हेतु किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को प्राधिकृत करने की कृपा की जाय।

5. यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन से संबंधित है, अतः इसे उच्च प्राथमिकता देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

6/4/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक –3 /एम०– 43/2015सा०प्र०......4710....../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
उद्योग विभाग/वाणिज्य–कर विभाग/परिवहन विभाग/मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/खान एवं भूतत्त्व विभाग/कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/श्रम संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक.........9.4..2018

विषयः– सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 2454/2018 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 27.03.2018 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन के संदर्भ में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 2454/2018 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक– 27.03.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है –

" However, before proceeding to decide the issue in question, we direct the Chief Secretary of the State of Bihar to nominate an officer on his behalf to file an affidavit before this Court and clarify the position by referring to the procedure followed in various other departments in the State of Bihar and indicate to this Court as to whether the contention of the petitioners as detailed hereinabove are correct or not. The Chief Secretary shall refer to various departments and indicate to this Court the procedure followed in the matter of grant of weightage to employees who want to particulate in the process of selection and who have experience of working on contract basis. Referring to various departments, the system followed should be indicated in the affidavit. That apart, the affidavit shall also clarify as to whether the policy as contained in Annexure-1 dated 21.05.2013 is being followed uniformally even now in other departments and if so why a deviation is done in the advertisement in question.

Let an affidavit clarifying the entire position be filed by the officer nominated by the Chief Secretary within four weeks from today. In the meanwhile, the process of selection up to the stage of allocation of final marks for various

components of the selection process may go on but final result shall not be published without leave of the Court.

List after four weeks. "

2. उक्त आदेश के अनुपालनार्थ इस आशय की सूचना की आवश्यकता है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्गों के विनियंत्रण हेतु प्रवृत्त सेवा/संवर्ग नियमावली में नई नियुक्ति हेतु उस पद पर पूर्व में संविदा नियोजन के आधार पर कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को **weightage** दिये जाने का प्रावधान किया गया है अथवा नहीं?

3. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 8025 दिनांक– 21.05.2013 की कंडिका–2(i) द्वारा नियमित नियुक्तियों में वर्तमान में अथवा पूर्व में संविदा पर कार्य कर चुके कर्मचारियों को **weightage** पर विचार करने और आयु सीमा को नियमानुसार शिथिल करने हेतु संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावलियों में तदनुसार संशोधन करने के उपरान्त हीं नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजे जाने का प्रावधान किया गया है।

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–2 से संबंधित विभागीय प्रतिवेदन के साथ **प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक– 13.04.2018 के अपराह्न 04:00 बजे आहूत बैठक** में भाग लेने हेतु किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को प्राधिकृत करने की कृपा की जाय।

5. यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन से संबंधित है, अतः इसे उच्च प्राथमिकता देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

6/4/18

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव